

कार्यालय प्रधानाचार्यः जी० एस० वी० एम० मेडिकल कालेज, कानपुर।

दिनांक 29/08/2024

पत्र संख्या- /ई०सी०-1/एन०डी०/2024

सूचना :-

शासन के पत्र संख्या-148/71-1-24/71-1001/894/2020 दिनांक 14 जून 2024 द्वारा राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में रिक्त विभिन्न शिक्षकों के पदों को संविदा के अन्तर्गत पर वाक-इन-इन्टरव्यू माध्यम से चयन के सम्मेलनों में नियुक्ति/तैनाती व अभ्यर्थियों को तत्काल कार्यभार ग्रहण कराये जाने हेतु सेवायोजन विज्ञापि संख्या-182/एन०डी०/2024 दिनांक 29-08-2024 को संदर्भ में राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर में विभिन्न विभागों/ट्रामा सेंटर के अन्दरगत संविदा के अन्तर्गत आचार्य, सह आचार्य एवं सहायक आचार्य के रिक्त पदों पर सेवायोजन हेतु विज्ञापि की गयी है, जिसके अन्तर्गत पर रोगी के उपचार/एन०एम०सी० (एन०सी०आई०) मानकों की पूर्ति हेतु इस विधिसभा महविद्यालय/सुरर रोजिशियलिटी इन्स्टीट्यूट (पी०एम०एस०ए०एस०) रिक्त आचार्य, सह आचार्य एवं सहायक आचार्य के पदों को संविदा के अन्तर्गत पर भरे जाने हेतु इन पदों पर चयन वाक-इन-इन्टरव्यू (walk-in-interview) पध्ति से शासन द्वारा नियुक्त चयन समिति के माध्यम से किया जायेगा। इच्छुक अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सक्षमता हेतु अपने सम्बन्धित मूल प्रमाण पत्रों के साथ विज्ञापि जारी होने के परचाल वाक के शुरूआत दिनांक 30-08-2024 को परीक्षा हल-3, मेडिकल कालेज, कानपुर में प्रातः 10.00 बजे से सायं-04.00 बजे के मध्य उपस्थित हो। अभ्यर्थियों को यह भी श्रुति किया जाता है कि वह सक्षमता के दिवस अपने सम्बन्धित/अनुभव प्रमाण पत्रों/शोध पत्रों तथा एन०एम०सी० की गाइड लाइन के अनुसार सहायक आचार्य हेतु रीजिस्टर रेजीडेन्सी एवं आचार्य/सह आचार्य हेतु एम०डी०/डी०सी०/डी०आर०/प्रमाण पत्र की (सब प्रमाणित) छायाप्रतियों का एक सेट बायोडेटा सहित भी लायेंगे। विधिसभा शिक्षकों के पदों की शिकिया एवं नियुक्ति की तारीखें एन०एम०सी० मेडिकल कालेज, कानपुर के वेबसाइट www.gsvmedicalcollege.com पर उपलब्ध हैं। पदों की संख्या घट बढ सकती है।

क्र. सं.	विशियता का नाम	संविदा विधिसभा शिक्षकों की रिक्त पदों की संख्या								
		आचार्य	आरक्षित श्रेणी	रोस्टर कमाक	सह आचार्य	आरक्षित श्रेणी	रोस्टर कमाक	सहायक आचार्य	अक्षित श्रेणी	रोस्टर कमाक
1	आर्थोपेडिक्स	1	ओ०बी०सी०	(3)	1	ओ०बी०सी०	(57)	0	0	0
2	आण्थलगोलॉजी	1	एस०सी०	(53)	1	एस०सी०	(59)	0	0	0
3	आल्बर्टिक्स एण्ड गायनोकोलाजी	0	0	0	1	ई०डब्ल्यू०एस०	(64)	1	अनारक्षित	(8)
4	इमरजेन्सी मेडिसिन	0	0	0	1	अनारक्षित	(65)	1	ई०डब्ल्यू०एस०	(110)
5	एनाटमी	0	0	0	0	0	0	1	एस०सी०	(111)
6	एनेस्थीसिया	0	0	0	1	अनारक्षित	(8)	1	अनारक्षित	(39)
						अनारक्षित	(38)		अनारक्षित	(79)
						अनारक्षित	(66)		अनारक्षित	(80)
						एस०सी०	(69)		एस०सी०	(81)
						ई०डब्ल्यू०एस०	(70)		अनारक्षित	(82)
						ओ०बी०सी०	(71)		अनारक्षित	(83)
						अनारक्षित	(72)		अनारक्षित	(84)
						अनारक्षित	(40)		अनारक्षित	(85)
7	ओटो लैरिंगोलॉजी(ई०एन०टी०)	1	ओ०बी०सी०	(57)	1	ई०डब्ल्यू०एस०	(40)	0	0	0
8	कम्युनिटी मेडिसिन	0	0	0	0	0	0	1	एस०सी०	(121)
9	जनरल मेडिसिन	0	0	0	1	एस०सी०	(199)	1	एस०सी०	(159)
						ई०डब्ल्यू०एस०	(160)		अनारक्षित	(172)
						ई०डब्ल्यू०एस०	(20)		अनारक्षित	(47)
						एस०सी०	(47)		अनारक्षित	(53)
						एस०सी०	(53)		अनारक्षित	(55)
						ओ०बी०सी०	(55)		अनारक्षित	(63)
						एस०सी०	(63)		अनारक्षित	(123)
						ओ०बी०सी०	(123)		अनारक्षित	(124)
						अनारक्षित	(124)		अनारक्षित	(125)
						एस०सी०	(125)		अनारक्षित	(126)
						अनारक्षित	(126)		अनारक्षित	(127)
						अनारक्षित	(127)		अनारक्षित	(21)
						एस०सी०	(21)		अनारक्षित	(23)
						अनारक्षित	(23)		अनारक्षित	(24)
अनारक्षित	(24)	अनारक्षित	(44)							
अनारक्षित	(44)	अनारक्षित	(65)							
अनारक्षित	(65)	अनारक्षित	(69)							
अनारक्षित	(69)	अनारक्षित	(129)							
अनारक्षित	(129)	अनारक्षित	(130)							
अनारक्षित	(130)	अनारक्षित	(131)							
अनारक्षित	(131)	अनारक्षित	(132)							
अनारक्षित	(132)	अनारक्षित	(165)							
अनारक्षित	(165)	अनारक्षित	(166)							
अनारक्षित	(166)	अनारक्षित	(167)							
अनारक्षित	(167)	अनारक्षित	(168)							
अनारक्षित	(168)	अनारक्षित	(169)							
अनारक्षित	(169)	अनारक्षित	(133)							
11	ट्यूबरकुलोसिस एण्ड रेस्पिरेटरी मेडिसिन	0	0	0	1	अनारक्षित	(54)	1	अनारक्षित	(91)
12	डर्मेटोलॉजी (स्क्रीन एण्ड वीडो)	1	ओ०बी०सी०	(65)	1	अनारक्षित	(90)	0	0	0
						अनारक्षित	(108)			
13	न्यूरोलॉजी	1	अनारक्षित	(24)	0	0	0	0	0	0
14	न्यूरोसर्जरी	1	अनारक्षित	(26)	0	0	0	0	0	0
15	नेफ्रोलॉजी (मेडिसिन)	0	0	0	1	अनारक्षित	(18)	0	0	0
15	पीडियाट्रिक्स	0	0	0	1	एस०सी०	(93)	1	एस०सी०	(30)
						अनारक्षित	(94)		अनारक्षित	(70)
						ओ०बी०सी०	(95)		अनारक्षित	(139)
						अनारक्षित	(95)		अनारक्षित	(140)
						अनारक्षित	(95)		अनारक्षित	(170)
अनारक्षित	(95)	अनारक्षित	(171)							

16	पैथालोजी								ओपीओसी	(91)
17	फार्माकोलाजी	0	0	0	0	0	0	1	एसओसी	(45)
		1	एसओसी	(49)	1	एसओसी	(25)	1	एसओसी	(93)
18	फिजियोलोजी							1	ओपीओसी	(96)
		0	0	0	0	0	0	1	एसओसी	(145)
19	फोरेन्सिक मेडिसिन							1	अनारक्षित	(96)
		1	अनारक्षित	(52)	0	0	0	1	अनारक्षित	(146)
20	बायोकेमिस्ट्री							1	एसओटी	(147)
		1	ओपीओसी	(51)	1	अनारक्षित	(96)	1	अनारक्षित	(148)
21	माइक्रोबायोलोजी							1	एसओसी	(149)
		0	0	0	1	एसओटी	(97)	1	ओपीओसी	(151)
22	रेडियोग्राफिस्ट्री							1	ओपीसी	(37)
		1	ओपीओसी	(37)	1	ईओडब्ल्यूएसओ	(10)	1	अनारक्षित	(38)
					1	अनारक्षित	(98)	1	अनारक्षित	(56)
					1	एसओसी	(99)	1	अनारक्षित	(152)
					1	ईओडब्ल्यूएसओ	(100)	1	एसओसी	(153)
					1	एसओसी	(101)	1	अनारक्षित	(154)
					1	अनारक्षित	(102)	1	अनारक्षित	(155)
								1	ओपीओसी	(156)
								1	अनारक्षित	(157)
								1	ओपीओसी	(158)
								1	फिजिसिस्ट	(159)
23	साइकियेट्री							1	अनारक्षित	(158)
		1	अनारक्षित	(68)	1	ओपीओसी	(103)	1		
					1	अनारक्षित	(108)			
		11			51			74		

उक्त पदों पर नियमानुसार आरक्षण देय होगा संविदा पर नियुक्ति की शर्त निम्नवत है-

- संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले आचार्यों का नियत वेतन ₹0-2,20,000/-, सह आचार्यों का नियत वेतन ₹0-1,60,000/- तथा सहायक आचार्यों को नियत वेतन ₹0-1,20,000/- प्रतिमाह है। इस हेतु आवेदनकर्ता को Medical Council of India, Minimum Qualification For Teachers in Medical Institutions Regulations, 2022 द्वारा निर्धारित शैक्षिक अहर्ताएं एवं अनुभव पूर्ण करना आवश्यक है।
- शासनादेश संख्या- 2282/71-1-2013-जी-11/2011 दिनांक 23-09-2013 द्वारा राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में सेवानिवृत्त चिकित्सा शिक्षकों को संविदा पर नियुक्ति किये जाने की अधिकतम आय सीमा 70 वर्ष होगी।
- शासनादेश सं-562/71-1-2020-जी-63/2008 दिनांक 10 जून, 2020 द्वारा संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अधिकतम आय नियुक्ति वर्ष के जुलाई माह के प्रथम दिवस को सहायक आचार्य हेतु 60 वर्ष, सह आचार्य हेतु 64 वर्ष एवं आचार्य हेतु 68 वर्ष होगी।
- चयन से सम्बन्धित कालेज से उत्तीर्ण अर्थात् तथा नये स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अर्थात् को पूर्ववर्ती अर्थात् पर वरीयता प्रदान की जायेगी।
- चिकित्सा शिक्षकों की शैक्षिक अहर्ता/शैक्षिक अनुभव 30 प्रो राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अध्यापकों की जारी सेवा नियमावली (पंचम संशोधन)-2018 एवं समय-समय पर पूर्व में निर्गत सेवा नियमावली में नियत व्यवस्था के अनुसार होगी।
- ओपीओसी के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे।
- प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले शिक्षकों को प्राइवेट प्रैक्टिस के स्थान निर्दिष्ट करना होगा।
- कोई भी चिकित्सा शिक्षक इस चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालयों में आये रोगियों को प्राइवेट में देखने के लिए बन्ध नहीं करेगा।
- प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को मेडिकल कालेजों में आकस्मिक/आपदा सेवाओं के दृष्टिगत हमेशा उपलब्ध रहना होगा।
- उक्त नियत वेतन के अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों को अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ अनुमन्य नहीं होंगे।
- संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की सेवारत लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित चिकित्सा शिक्षकों के उपलब्ध होने पर तत्काल समाप्त हो न जायेगी एवं सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह की नोटिस देकर भी सेवा समाप्त की जा सकती है।
- ऐसे चिकित्सा शिक्षकों का संविदा कार्यकाल एक वर्ष होगा। एक वर्ष की संतोषजनक सेवा के पश्चात लोक सेवा से चयनित अर्थात्/नियमित चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध होने पर आवश्यकतानुसार इनकी संतोषजनक सेवा के अन्तर्गत कार्यकाल पुनः बढ़ाया जा सकेगा।
- संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों के लिए यह आवश्यक होगा कि वह करार होने के 15 दिन के भीतर सम्बन्धित मेडिकल कालेज में अपना कार्यभार ग्रहण कर लें। उक्त कालावधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में संविदा स्वतः रद्द मानी जायेगी। संविदा पर नियुक्त ऐसे चिकित्सा शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण की सूचना सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा शासन तथा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण को तत्काल भेजी जायेगी।
- संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक संविदा कालावधि के लिए किसी प्रकार की पेशान सम्बन्धी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा। उसे उक्त कालावधि के लिए कोई बोनस देय नहीं होगी।
- चिकित्सा शिक्षक शासकीय सेवा में विनियमितीकरण के लिए हकदार नहीं होगा।
- संविदा आधारित नियुक्ति किसी भी एक पक्ष द्वारा और किसी भी समय 01 माह की सूचना या एक माह का संविदा वेतन मुगलान करके समाप्त की जा सकती है।
- संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अन्य सेवा शर्त ऐसी होगी जैसे करार या अनुबन्ध पत्र में विनिर्दिष्ट की जाये। संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों के अनुबन्ध या करार में इस तथ्य का उल्लेख किया जायेगा कि वह मविथ में अपने कार्य एवं अपने कार्यकाल के अन्तर्गत अपने विनियमितीकरण अथवा स्थायीकरण का दावा नहीं करेंगे और न ही उन्हें निर्धारित नियत वेतन के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा अनुमन्य होगी।
- अभ्यर्थियों से साक्षात्कार के समय इस आशय का घोषणा पत्र भी प्राप्त किया जायेगा कि उनके विरुद्ध माननीय न्यायालय में कोई अपराधिक वाद प्रचलित नहीं है, यदि उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी।
- उपरोक्त शासन, कार्मिक अनुभाग-2, उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप सं-1/2019/4/1/2002/का-2/19 टी.सी.-ii दिनांक 18-02-2019 के अन्तर्गत ईओडब्ल्यूएसओ (अर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु कुल वार्षिक आय ₹0 8.00 लाख से कम होगी तथा परिवार की आय और परिसम्पत्ति का प्रमाण पत्र सम्बन्धित क्षेत्र के तहसीलदार से अनिवार्य अधिकारी द्वारा जारी/प्रमाणित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण नेट पर देखा जा सकता है।
- सुपर स्पेशियलिटी के पदों की शैक्षिक अहर्ता नवीन एनओएमओसीओ गाइड लाइन के अनुसार अनुमन्य होगी।
- सुपर स्पेशियलिटी के पदों का समायोजन होने की दशा में पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है।

प्रधानाचार्य
मेडिकल कालेज, कानपुर

सं-248 / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्न लिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को वेबसाइट पर अपलोड कराने की कृपा करे।
- समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, उ0प्र0।
- नोडल अधिकारी बेब साइट, मेडिकल कालेज, कानपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करे।

प्रधानाचार्य
मेडिकल कालेज, कानपुर